संयुक्त निरीक्षण रिपोंट

आज दिनॉक 09/02/2023 को प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपश्वर की पत्र संख्या 3785/12–1 दिनॉक 02/02/2023 व पत्रांक 3730/12–1 दिनॉक 31/01/2023 एवं अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण, थराली की पत्र संख्या 101/36–सी0 दिनॉक 17/01/2023 कम में कुलिन्द दिदिना मोटर मार्ग हेतु 6.459 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 12.918 है0 भूमि सुय्या सिविल तथा काण्डई बामणबेरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.265 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2.53 है0 भूमि सुय्या सिविल में चयनित की जानी है, भूमि का सत्यापन/संयुक्त निरीक्षण किया गया। उक्त क्षेत्रों का निरीक्षण दिनॉक 24/01/2023 को राजस्व विभाग के राजस्व उप निरीक्षक मुन्दोली, लोक निर्माण विभाग के अमीन थराली, ग्राम प्रधान कुलिंग व वन विभाग के अनुभाग अधिकारी मुन्दोली द्वारा पूर्व में भी किया गया था। पुनः आज दिनॉक 09/02/2023 को ग्राम प्रधान, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, थराली, व राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा किया गया।

1. कुलिन्द दिदिना मोटर मार्ग हेतु 6.459 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 12.918 है0 भूमि ग्राम सुय्या के सिविल खसरा सं0 3045 सकल क्षेत्रफल 11.981है0 मध्ये 10.00 है0 व खसरा संख्या 2083 में से ही शेष 3.193 है0 में शेष 2.918 है0 वनीकरण हेतु पौंथीढुंग–आगर के निकट स्थल चयन किया गया है। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 10.00 + 2.918 =12.918 है0 क्षेत्र का चयन किया गया, वनीकरण हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया उक्त भूमि वृक्ष विहीन व कंटीली झाडिया तथा घास युक्त क्षेत्रों से भरी है।
2. मा0 मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 6/2020 में राज्य योजनान्तर्गत काण्डाई बामणबेरा प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये सुय्या सिविल खसरा संख्या 3043 (घूरा–गोदणा के निकट) में अधिकतम भूभाग बांज वृक्षों से आच्छांदित है और शेष भाग में अतिकमण मकाने, खेत इत्यादि है, इस खसरा संख्या 3043 में वनीकरण कर पाना सम्भव नही है। इसलिये वनीकरण हेतु उक्त स्थल अनुपयुक्त पाया गया।

प्रधान ग्राम पंचायत कुलिंग
ह0 ... दि0 9-2-2023

राजस्व उप निरीक्षक
ह0 ... दि0 9/2/23

तहसीलदार
थराली

(ज्ञान सिंह बिष्ट)
वन दरोगा

9-02-2023

09/02/23
अभियन्ता

09/02/023
वन क्षेत्र अधिकारी
पूर्वी पिण्डर वन क्षेत्र देवाल
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर